By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Case No. SD/9/2016/MRLY1/SEOTH/RU-I

Dated: 28/02/2019

To,

अध्यक्ष,
रेलवे बोर्ड,
रेल भवन रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

महाप्रबन्धक,
पूर्व रेलवे नेताजी सुभाष रोड,
कोलकता- 700001

Sub: बेटी को अनुकंपा के आधार पर रेलवे शासन द्वारा नौकरी दिलवाने के संबंध में- श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व: चंदा मण्डल, (भूतपूर्व- कुक/ स्टेशन प्रबन्धक, साहेबगंज) ग्राम- केलाबाड़ी पोखरिया, पोस्ट एवं ज़िला- साहेबगंज, (झारखंड) का अभ्यावेदन ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर श्री हरि कृष्ण डामोर, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनाक 15.02.2019 को 03.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है ।

निवेदन यह है कि बैठक की अनुशंसाओं/ सुझावों पर की गई/ की जाने वाली कार्यवाही से, इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर आयोग को सूचित करे ।

भवदीय,

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/ सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

प्रतिलिपि:

श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व० चंदा मण्डल,
ग्राम- केलाबाड़ी पोखरिया,
पोस्ट एवं ज़िला- साहेबगंज,
(झारखंड)- 816109
(Mob: 8757179978)
7061823930

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
3. PA to Hon'ble Member (HKD), NCST
4. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व० चंदा मण्डल, (भूतपूर्व- कुक/ स्टेशन प्रबन्धक, साहेबगंज) ग्राम- केलाबाड़ी पोखरिया, पोस्ट एवं ज़िला- साहेबगंज, (झारखंड) द्वारा अपनी तलाकशुदा बेटी बियाशी देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से रेल प्रशासन द्वारा वंचित करने के संबंध में, माननीय सदस्य श्री हरि कृष्ण डामोर की अध्यक्षता में दिनाक 15.02.2019 को 3.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

(F. No. SD/6/2018/MRLY1/SEOTH/RU-I)

बैठक के प्रतिभागियों की सूची संलग्नक में है ।

श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व० चंदा मण्डल, (भूतपूर्व- कुक/ स्टेशन प्रबन्धक, साहेबगंज) ग्राम- केलाबाड़ी पोखरिया, पोस्ट एवं ज़िला- साहेबगंज, (झारखंड) ने अपने अभ्यावेदन दिनाक 23.04.2018 द्वारा अपनी तलाकशुदा बेटी बियाशी देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से रेल प्रशासन द्वारा वंचित करने के संबंध में, आयोग को सूचित करते हुए न्याय हेतु प्रार्थना की । इस अभ्यावेदन को आयोग ने पत्र दिनाक 11.07.2018 द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा महाप्रबंधक, पूर्व-उत्तर रेलवे, कोलकता को अग्रसारित किया तथा अनुरोध किया कि 30 दिन के अंदर तथ्यों सहित सूचना भेजे ।

पूर्व-उत्तर रेलवे, कोलकता ने प्रकरण में पत्र संख्या E.220/1/1/RR/Rep/Commn/ST/Pt. II dated 31.07.2018 द्वारा तथ्यों सहित सूचना भेजी । इस पत्र को आयोग ने,श्रीमती सहोद्री देवी को उनकी संतुष्टि हेतु दिनांक 17.09.2018 को अग्रसारित किया तथा कहा कि 30 दिन के अंदर अपना उत्तर भेजे । श्रीमती सहोद्री देवी ने दिनाक 27.12.2018 के प्रत्युत्तर में रेल प्रशासन द्वारा दी गई सूचना पर असहमति प्रकट की तथा आयोग को न्याय दिलाने की प्रार्थना की । प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये, आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने दिनाक 15.02.2019 को 3:00 बजे अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा महाप्रबंधक, पूर्व-उत्तर रेलवे, कोलकता के साथ प्रकरण पर विचार विमर्श के लिए बैठक निर्धारित की । माननीय उपाध्यक्ष महोदय को अचानक सरकारी प्रवास पर मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य जाना पड़ा, इसी कारण माननीय सदस्य श्री हरि कृष्ण डामोर जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

महाप्रबंधक, पूर्व-उत्तर रेलवे, कोलकता ने पत्र संख्या E.220/1/1/RR/Rep/Commn/ST/Pt. II दिनांक 14.02.2019 द्वारा सूचित किया की Chief Personnel Officer (Admin) Eastern Railway, Kolkata को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, परंतु बैठक में APO/III/Eastern Railway/ Malda Division उपस्थित हुए । अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड से कोई पत्र/ सूचना नहीं थी परंतु रेलवे बोर्ड से S.O. (E-SCT)-II उपस्थित हुए । पूर्व-उत्तर रेलवे, कोलकता के प्रतिनिधि ने पूर्व-उत्तर रेलवे के पत्र संख्या E.220/1/1/RR/Rep/Commn/ST/Pt. II दिनाक 14.02.2019 कि प्रति प्रदान की जिसमे मामले में तथ्यों तथा की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया और सूचित किया कि यह मामला विचार योग्य नहीं है ।

माननीय सदस्य ने श्रीमती सहोद्री देवी की पुत्री बियाशी देवी से पूछा,कि वह अपनी समस्या बताये । श्रीमती बियाशी देवी ने बताया कि,वह अपनी माँ की देख-भाल करती है और वह शुरू से ही साथ में रह रही है । श्रीमती वियाशी देवी ने अपना आधार कार्ड, PAN कार्ड तथा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की प्रतियाँ उपलब्ध कराई तथा बताया कि वह हमेशा अपनी माँ (श्रीमती सहोद्री देवी) की देख-भाल करेगी और साथ रहेंगी क्योंकि उनका भी कोई सहारा नहीं है । रेलवे प्रशासन से आये अधिकारी गणों से निवेदन किया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करे, जिंदगी भर उनकी आभारी रहूँगी ।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krisn...
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tri...
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

माननीय सदस्य ने , रेलवे प्रशासन के प्रतिनिधियों से कहा कि रेल मंत्रालय के circular No. RBE No. 70/2014 (No. E (NG)-II/2014/RC-1/SCR/5 dated 08.07.2014 regarding appointment on compassionate grounds of family member of an ex-railway servant में आश्रितों को परिभाषित किया गया है जो निम्नवत है को ध्यान में रखते हुये इस मामले में अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाना चाहिए ।

> "Existence of a number of instructions as well as the issue of specific clause of 'dependency on the ex-Railway employee' have been engaging the attention of this office for sometime. Accordingly, the matter has been reviewed by the Board and it has been decided that it should be left to the discretion of the family concerned in case of death of ex- employee to request for a job to either spouse or any child {whether son or daughter (unmarried/ married/ divorced/widowed)} subject to the condition that the concerned child will be the bread-winner of the family concerned. Further, for this purpose instructions issued by this Ministry vide letter issued under RBE No. 22/2014 dated 04.03.2014 be read in the same spirit".

पूर्व-उत्तर रेलवे के प्रतिनिधि ने बताया किया कि यह केस अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं है क्योंकि श्रीमती बियाशी देवी ने तलाक बाद में लिया है । श्रीमती बियाशी देवी ने पुनः कहा कि वह आजीवन श्रीमती सहोद्री देवी के साथ रहेंगी और देख –भाल करेंगी । रेल प्रशासन द्वारा इस विषय में कोई प्रमाण चाहिए तो वह देने के लिए तैयार है, नियुक्ति हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

विचार विमर्श के बाद, माननीय सदस्य ने अनुसंशा/ सुझाव दिया कि पूर्व-उत्तर रेलवे इस मामले में रेल मंत्रालय के circular No. RBE No. 70/2014 (No. E (NG)-II/2014/RC-1/SCR/5 dated 08.07.2014 को ध्यान में रखते हुये, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। रेल प्रशासन को यदि अन्य प्रमाण पत्र चाहिए, तो अभ्यावेदक उनको उपलब्ध कराये । पूर्व-उत्तर रेलवे, इस प्रकरण पर की गई/ की जाने वाली कार्यवाही से सिटिंग के कार्यवृत प्राप्त होने के एक महीने के अंदर आयोग को सूचित करे ।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Annexure

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

File No. SD/6/2018/MRLY1/SEOTH/RU-I

List of participants of the sitting held on 15.02.2019 at 03:00 P.M. under the Chairmanship of Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member, NCST in the case of श्रीमती सहोद्री देवी, पत्नी स्व: चंदा मण्डल, (भूतपूर्व- कुक/ स्टेशन प्रबन्धक, साहेबगंज) ग्राम- केलबाड़ी पोखरीया, पोस्ट एवं ज़िला- साहेबगंज, (झारखंड) द्वारा अपनी तलाकशुदा बेटी वियाशी देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से रेल प्रशासन द्वारा वंचित करने के संबंध में ।

I **<u>National Commission for Scheduled Tribes</u>**

1. Shri H.K. Damor, Hon'ble Member — In Chair
2. Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Director
3. Shri R. S. Mishra, Senior Investigator

II **<u>Chairman, Railway Board, New Delhi</u>**

1. Shri Vishram Meena, SO (E-SCT)-II
2. Shri Sumit Chandra, SO (E-SCT)-II

III **General Manager, Eastern Railway, Kolkata**

1. Shri Harekrushna Parida, APO/III/E.RLY/Malda Division, DRM office, Malda
2. Shri Surya Prakash, Fairly Place, Kolkata

IV **<u>Petitioner</u>**

Smt. Biashi Devi D/o Smt. Sahodri Devi